तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25/2/21	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित है। वकील वादी द्वारा मौखिक बहस वादपत्र के तथ्यों को दोहरा कर कथन किये कि वादी वादग्रस्त भूमि का अभिलिखित खातेदार है, तथा प्रतिवादी के कब्जे काश्त में बेजा मदाखलत एवं मजाहमत करते हैं इन्हें जरिये व्यादेश आदेश पाबन्द किया जावे। प्रतिवादीगण का हमारी भूमि से सरोकार नहीं है हम हमारी भूमि पर काबिज है, ये लोग बेजा मदाखलत करते हैं इन्हें स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। प्रदर्श-1 जमाबंदी नकल से स्पष्ट है कि हम ही खातेदार हैं। बाद बहस पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन एवं मनन किया। वादी द्वारा इन कथनों के साथ वादपत्र प्रस्तुत किया गया कि वादी के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि ग्राम नूरपुरा खसरा नम्बर 347 व 359 किता 2 रकबा 1.62 हे० के सम्पूर्ण रकबे या किसी भी भू-भाग पर प्रतिवादीगण बेजा मदाखलत उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी क्रमशः	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहलकार हुक्म में ...
	व मजाहमत नहीं करे। रास्ते में बाधा नहीं करे। शान्तिपूर्वक रास्ता चलते रहने देवे। दावा वादी पेश होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादीगण के द्वारा जरिये अधिवक्ता जवाब प्रस्तुत किया। वादी के खाते की भूमि खाता खरदार थी, जिसे वादी ने सेटलमेन्ट से मिलकर प्रति० नं० २.३.४ के कब्जे की भूमि पर अपना नाम दर्ज करवा लिया। प्रति० की भूमि पुश्तैनी भूमि है, जिस पर प्रतिवादीगण ने कोई नया कब्जा नहीं किया है। अन्य वाद में यथास्थिति के आदेश हो रहे हैं। इस कारण वादी का वाद सव्यय खारिज फरमाया जावे। प्रतिवादीगण की ओर से No instruction plead किया गया जिसका प्रतिवादीगण के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गयी। (1) आया वादी बादग्रस्त भूमि का खातेदार आसामी है। जिम्मे वादी (2) आया वादी प्रति० के विरुद्ध वांछित स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का हकदार है। जिम्मे वादी	

उपखण्ड अधिकारी

क्रमश

(3) आया वादग्रस्त भूमि पुश्तैनन वादी के नाम दर्ज हो जाने के तथा वादी दाखिल खारिज है।

सिद्धे वादी

(4) दादरसी

बाद कायमी तनकियात वादी को अपने साक्ष्य प्रस्तुत करने के पर्याप्त एवं युक्तियुक्त अवसर दिये गये। दौराने साक्ष्य वादी द्वारा स्वयं का शपथ पत्र एवं नकल जमाबंदी ग्राम नूरपुरा 2069-72 खाता नं. 55 प्रदर्श-1 प्रस्तुत की।

वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र के तथ्य, वांछित अनुतोषादि, प्रतिवादीगण के जवाब, मय आपत्तियां, वादी द्वारा आपत्तियों का जवाब एवं प्रकरण में वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर विचार किया। बहस पर मनन किया। तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार है।

<u>तनकी नम्बर 1</u>:— इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। वादी के द्वारा स्वयं का शपथ पत्र एवं नकल जमाबंदी ग्राम नूरपुरा 2069-72 खाता नम्बर 55 मय नोट नामान्तरकरण नम्बर 435 दि० 20.5.2014 प्रस्तुत की जो प्रदर्श-1

उपखण्ड अधिकारी

क्रमशः

के आधार पर यह प्रतीत होता है, कि वादी द्वारा ग्राम ...पुरा के खसरा नम्बर 357 359 किता 2 रकबा 1.62 हैक्टर भूमि निविरान, राजू पुत्र ...बाई ...बाई ...बाई ...बाई ...बाई पुत्रियां व ...बाई बेवा रामनाथ तेली से खरीदी है, तथा इन्तकाल नं. 435 दि० 20.5.1458 उक्त भूमि पर वादी का नाम दर्ज किया गया था

इस प्रकार वादी उक्त भूमि का खातेदार टीनेन्ट प्रतीत होता था परन्तु प्रकरण में उक्त भूमि की वर्तमान स्थिति अपूर्ण थी। उक्त भूमि की बाकियाँ जानकारी अस्पष्ट एवं अपूर्ण थी

अतः यह नकली इसी प्रकार तय की जाती थी

तनकी नम्बर 2:— इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। वादी द्वारा पूर्व वर्णित साक्ष्य ही प्रस्तुत किये थे। प्रकरण में वादी द्वारा खिलाफ प्रतिवादीगण स्थाई आदेश का अनुतोष चाहा था। स्थाई आदेश हेतु खातेदारी का हस्तक्षेप, कब्जा, बेदखल किये जाने की धमकी, या विधि विरुद्ध बेदखल करने का प्रमाण, व ऐसी क्षति जिसकी भरपाई किया जाना सम्भव ही नहीं हो

वादी द्वारा यह प्रमाणित नहीं किया है, कि उसका वादग्रस्त भूमि पर सेटल्ड पजेशन हो।

उपखण्ड अधिकारी
...गंजमण्डी

क्रमश

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

यदि वादग्रस्त भूमि पर प्रति० का कब्जा है तो वादी को धारा 183 के अन्तर्गत बेदखली हेतु वाद लाना चाहिये था। एक धारा का अनुतोष दूसरी धारा द्वारा नहीं दी जा सकती।

वादी द्वारा ऐसा कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह प्रमाणित हो कि उसका वादग्रस्त भूमि पर स्वत्व या कब्जा हो। साथ ही साथ प्रतिवादीगण द्वारा धमकी दी जा रही हो या उनके कृत्य से वादी को अपरिमित क्षति हो रही हो।

अतः साक्ष्याभाव में यह तनकीह खिलाफ वादी तय की जाती है।

तनकीह नम्बर 3:- इस तनकीह को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था। प्रति० द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी। लिहाजा साक्ष्याभाव में यह तनकीह खिलाफ प्रतिवादीगण तय की जाती है।

तनकीह नं. 4:- तनकीह नम्बर 1 से 3 के विवेचन तथा विश्लेषण के आधार पर वाद वादी काबिल खारिज है।

अतः गुणावगुण के आधार पर वाद वादी खारिज किया जाता है तदनुसार डिक्री मुरत्तिब हो।

निर्णय आज दिनांक 25/2/21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

(देशल दान)
I.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

Badi Civil
Part V-10

अंतिम डिकरी व मुकद्दमे [redacted]

(ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

बअदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम रामगंजमण्डी

बनाम दयाल दान (I.A.S.)

बृजराज सिंह बनाम पटवारी

दावा बाबत 188 R.T. Act 1955

2015/003२4

मुकद्दमा नं. 03 सन् 2016

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू-ब-रू मुझ दयाल दान (I.A.S.)

बहाजरी श्री S.S. शक्तावत एड. मिनजानिब मुद्दई व ×

मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

गुणावगुण के आधार पर वाद वादी खारिज किया जाता है।

रोज ——— मुबालिग ——— बाबत ———

खर्चा इस मुकद्दमे के मय सूद व शरह × फीसदी सालाना आज की तारीख

से तारीख वसूलयाबी तक × को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 25 माह 02 2021

को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत [signature]

ओहदा उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी

मुद्दई		रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा	....		
स्टाम्प वकालतनामा	....		
स्टाम्प वजह सबूत	....		
महनताना वकील	....		
खर्चा गवाहान	....		
फीस कमिश्नर	....		
बाबत इजराय हुक्मनामा	....		
मुतर्फरिक	....		
मीजान....		-	-

मुद्दायलाह		रुपया	पै.
स्टाम्प वकालतनामा	....		
स्टाम्प अर्जी	....		
महनताना वकील पर	....		
खर्चा गवाहान	....		
फीस कमिश्नर	....		
बाबत इजराय हुक्मनामा	....		
मुतर्फरिक	....		
मीजान ...		-	-

नोटः—इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये। खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करें।

रा. मु. जो. 139-2006-1,00,000 फार्म

[signature]

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी